

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मण्डी कार्मिक/अ-4/356/95

भोपाल, दिनांक 03/03/2016

//आदेश//

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर अन्य विभागों से आवश्यकता अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के लिये मानक सेवा शर्तों में शर्त क्रमांक-12 निम्नानुसार निर्धारित है :-

“यदि प्रतिनियुक्त सेवक की मण्डी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अवधि में मृत्यु हो जाती है तो अनुग्रह अनुदान (एक्सग्रेसिया) संबंधित के पैतृक विभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा।”

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संचालक मण्डल बोर्ड की 126 वीं बैठक दिनांक 23.02.2016 के प्रस्ताव क्रमांक 05 में पारित निर्णय के अनुपालन में वर्तमान में निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक सेवा शर्त क्रमांक 12 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“यदि प्रतिनियुक्त सेवक की मण्डी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अवधि में मृत्यु हो जाती है तो अनुग्रह अनुदान (एक्सग्रेसिया) का भुगतान वाह्य नियोजिक (मंडी बोर्ड) को करना होगा।”

उक्त सेवा शर्तें दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील होगी।

(अरुण पाण्डेय)  
प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल

क्रमांक/मण्डी कार्मिक/अ-4/356/96

भोपाल, दिनांक 03/03/2016

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अवर सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. अपर संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
6. संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी/सहायक यंत्री (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
7. कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग.....(समस्त)
8. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....।
9. समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय...../तक.संभाग.....
10. सूचना पटल/भण्डार/समस्त शाखा.....मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल